



छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च-अप्रैल, 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2012 (चैत्र 8, 1934)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्कत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

- (1) सर्वश्री नंद कुमार पटेल, मोहम्मद अकबर, सदस्य, कोरबा जिलांतर्गत लैंको पावर प्लांट विस्तार हेतु पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों से मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (2) श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य, कोरिया जिले में बहुउद्देशीय (पुरुष) स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती में अनियमितता किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री राजू सिंह ठाकुर, सभापति, याचिका समिति का सप्तम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य, प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -
 - (i) ग्राम रामपुर से दूआरी मार्ग पर मोरन नदी पर पुल निर्माण करने,
 - (ii) ग्राम दुरती के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
 - (iii) ग्राम बतई में माध्यमिक शाला खोलने,
- (2) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सदस्य, दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -
 - (i) भिलाई नगरपालिक निगम के वार्डों में फेस-2 योजना स्वीकृत कर पानी सप्लाई की समस्या का समाधान करने,
 - (ii) दुर्ग से नगपुरा व्हाया कोटनी मार्ग का संधारण करने,

- (3) श्री बैदराम कश्यप, सदस्य, चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-
- (i) ग्राम ब्राह्मपाटा में संयुक्त आश्रम शाला खोलने,
 - (ii) ग्राम घाटघनोरा में संयुक्त आश्रम शाला खोलने,
 - (iii) ग्राम तुरांगुर में गुडियापारा से कोलूपारा मार्ग में नाले पर पुल निर्माण करने,
 - (iv) ग्राम नैनमुर में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने तथा
 - (v) ग्राम बड़ेकिलेपाल कुम्हारपारा से कोलूपारा के मध्य पुल निर्माण करने के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2012) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

7. वर्ष 2012-2013 की अनुदान मांगों पर चर्चा

विधायित्व समझ

(शेष चर्चा)	(1)	मांग संख्या	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन
2 घंटे	(2)	मांग संख्या	15	अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या	33	आदिम जाति कल्याण
		मांग संख्या	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना
		मांग संख्या	42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
		मांग संख्या	49	अनुसूचित जाति कल्याण
		मांग संख्या	53	अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या	64	अनुसूचित जाति उपयोजना
		मांग संख्या	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण
		मांग संख्या	68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन
		मांग संख्या	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मांग संख्या	83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
3 घंटे (3) मांग संख्या	1	सामान्य प्रशासन
मांग संख्या	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
मांग संख्या	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी
मांग संख्या	65	विमानन विभाग
मांग संख्या	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान

रायपुर
दिनांक 27 मार्च, 2012

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.